भारत
बीस रुपये TWENTY RUPEES COURT FEE
INDIA भारत पाँच रुपये FIVE RUPEES

95

समक्षः– न्यायालय श्रीमान् राजस्व मंडल मध्यप्रदेश ग्वालियर, मध्यप्रदेश

निग – 1309 – II – 16

निगरानी क्रमॉक :

प्रस्तुति दिनॉक :

श्री .... द्वारा आज दि. 23/04/16 प्रस्तुत
23-4-16
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

1. राजीवमोहन पांडे पिता मनमोहन पांडे
   निवासी चण्डी ज़ी वार्ड हटा जिला–दमोह म.प्र.
2. दिलीप पटैल पिता स्व. कान्तिभाई पटैल
   निवासी सुभाष वार्ड हटा, जिला दमोह म.प्र.
3. हॅसा मेहता पति प्रवीण कुमार सेलट पुत्री स्व. ज्ञानशंकर मेहता
   निवासी एन.टी.पी.सी. कालोनी, कोरबा, छत्तीसगढ़
4. कैलाशी पुत्री गोविन्दशंकर मेहता
   निवासी डॉ. आर.के. मिश्रा के पास दयानगर जबलपुर म.प्र.
5. बर्षा पुत्री विनयशंकर मेहता
   निवासी बल्देवबाग जबलपुर म.प्र.
6. मोना पुत्री विनयशंकर मेहता
   निवासी 104 सानंद अपार्टमेंट, सूर्या होटल के पास इंदौर म.प्र.
7. योगेश धगट पिता सुरेन्द्र धगट
   निवासी पॉवर हाऊस, भिलाई छत्तीसगढ़
8. हॅसा पति स्व. कृष्णशंकर मेहता
   संजय वार्ड हटा, जि. दमोह म.प्र. ....निगरानीकर्तागण/पुनरीक्षणकर्तागण

बनाम

मध्यप्रदेश शासन द्वारा तहसीलदार हटा ....गैरनिगरानीकर्ता

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 1309-दो/16 जिला –दमोह

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
25.4.16	आवेदक के अधिवक्ता श्रीमती रजनी वशिष्ठ शर्मा उपस्थित । उनके द्वारा इस न्यायालय में तहसीलदार हटा जिला दमोह के प्रकरण कमांक 1244/ब–121/14–15 में पारित आदेश दिनांक 15.3.16 से परिवेदित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है । 2– आवेदक के अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क में बताया गया है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार हटा के द्वारा कानून तथा विधि के प्रावधानों का सूक्ष्मतम अवलोकन किये बिना ही आलोच्य आदेश पारित करने में गंभीर भूल की है । 3– प्रकरण का अवलोकन किया । प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि निगरानीकर्ता कमांक–1 व 2 ने मौजा ग्राम बंजारी पटवारी हल्का न0 33 की भूमि खसरा न051/1, 56/3 एवं 57/2 रकवा कमशः 1.000 है0, 2.830 है0 व 1.950 है0 भूमि निगरानीकर्ता कमांक–3 श्रीमती हंसा मेहता से दिनांक 8.3.14 को जरिये पंजीकृत बयनामा उचित प्रतिफल देकर कय की थी और कब्जा पाया था। कय करने के पश्चात राजस्व अभिलेख में विधिवत नामांतरण किया जाकर निगरानीकर्ता कमांक–1 व 2 के नाम उक्त भूमिस्वामी के रूप में दर्ज की गई थी।	

4– प्रकरण में अधिवक्ता के तर्को एवं सूची अनुसार प्रस्तुत किये दस्तावेजों का सूक्ष्म अवलोकन करने पर दर्शित होता है कि निगरानीकर्ता क्रमांक –3 से 8 का पारिवारिक बटवारा होकर दिनांक 30.6.96 को नामांतरण का आदेश तहसीलदार हटा द्वारा पारित किया गया था। जिससे दुखित होकर श्रीमती सुधा ठक्कर, श्रीमती सरोज जोशी एवं जयशंकर ने एक अपील अनुविभागीय अधिकारी हटा के समक्ष प्रस्तुत की थी जिसका राजस्व अपील प्र0क0 64 अ/6 वर्ष 1998–99 था जिसमें दिनांक 18.1.2002 को आदेश पारित कर अपील निरस्त कर दी गई थी, उसके पश्चात द्वितीय अपील अपर आयुक्त सागर संभाग सागर को की गई जिसका अपील प्र0 क0 391/अ–6/2001–02 था जिसमें दिनांक 27.10.2005 को अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय को प्रकरण प्रत्यावर्तित करते हुये निर्देश दिया गया कि सभी संबंधित हितबद्व पक्षकारों को सुनवाई का समुचित अवसर देने के बाद गुणदोषों के आधार पर नियमानुसार निराकरण किया जावे। उक्त अपील में पारित आदेश के विरूद्व निगरानीकर्ता क्रमांक–8 ने राजस्व मण्डल ग्वालियर में अपील प्रस्तुत की थी जिसका अपील क्रमांक 1092–दो/08 था जिसमें दिनांक 19.6.12 को अपर आयुक्त सागर के आदेश की पुष्टि करते हुये अपील निरस्त कर दी गई लेकिन तहसील हटा द्वारा पारित किये गये आदेश दिनांक 15.3.16 के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि तहसीलदार हटा द्वारा अपर आयुक्त सागर एवं राजस्व मण्डल ग्वालियर द्वारा पूर्व में पारित किये गये आदेशों व निर्देशों का पालन नहीं किया गया है और विधि के विपरीत संबंध हितवद्व पक्षकारों का

4– प्रकरण में अधिवक्ता के तर्को एवं सूची अनुसार प्रस्तुत किये दस्तावेजों का सूक्ष्म अवलोकन करने पर दर्शित होता है कि निगरानीकर्ता क्रमांक –3 से 8 का पारिवारिक बटवारा होकर दिनांक 30.6.96 को नामांतरण का आदेश तहसीलदार हटा द्वारा पारित किया गया था। जिससे दुखित होकर श्रीमती सुधा ठक्कर, श्रीमती सरोज जोशी एवं जयशंकर ने एक अपील अनुविभागीय अधिकारी हटा के समक्ष प्रस्तुत की थी जिसका राजस्व अपील प्र0क्र0 64 अ/6 वर्ष 1998–99 था जिसमें दिनांक 18.1.2002 को आदेश पारित कर अपील निरस्त कर दी गई थी, उसके पश्चात द्वितीय अपील अपर आयुक्त सागर संभाग सागर को की गई जिसका अपील प्र0 क्र0 391/अ–6/2001–02 था जिसमें दिनांक 27.10.2005 को अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय को प्रकरण प्रत्यावर्तित करते हुये निर्देश दिया गया कि सभी संबंधित हितबद्व पक्षकारों को सुनवाई का समुचित अवसर देने के बाद गुणदोषों के आधार पर नियमानुसार निराकरण किया जावे। उक्त अपील में पारित आदेश के विरूद्व निगरानीकर्ता क्रमांक–8 ने राजस्व मण्डल ग्वालियर में अपील प्रस्तुत की थी जिसका अपील क्रमांक 1092–दो/08 था जिसमें दिनांक 19.6.12 को अपर आयुक्त सागर के आदेश की पुष्टि करते हुये अपील निरस्त कर दी गई लेकिन तहसील हटा द्वारा पारित किये गये आदेश दिनांक 15.3.16 के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि तहसीलदार हटा द्वारा अपर आयुक्त सागर एवं राजस्व मण्डल ग्वालियर द्वारा पूर्व में पारित किये गये आदेशों व निर्देशों का पालन नहीं किया गया है और विधि के विपरीत संबंध हितवद्व पक्षकारों का

सुनवाई का समुचित अवसर दिये वगैर आदेश पारित कर दिया गया। इसके अलावा तहसीलदार हटा को पंजीकृत बयनामाओं की वैद्यता की जांच करने का क्षेत्राधिकार नहीं है जबकि निगरानीकर्ता कमांक -1 व 2 का नाम राजस्व अभिलेख में उपरोक्त भूमि से प्रथक करने का आदेश क्षेत्राधिकार से वाहर जाकर किया गया है जबकि निगरानीकर्ता कमांक-1 व 2 ने उक्त भूमि जरिये पंजीकृत बयनामा से कय की है ।

5- अतः ऐसी स्थिति में निगरानीकर्तागण द्वारा प्रस्तुत उक्त निगरानी स्वीकार की जाकर तहसीलदार हटा द्वारा राजस्व प्रकरण कमांक 1244 ब/121 वर्ष 2014-15 में दिनांक 15.3.16 को पारित किया गया आदेश निरस्त करते हुये राजस्व अभिलेख में पूर्ववतः दर्ज करने का आदेश दिया जाता है।

सदस्य